

भूतपूर्व सैनिक/वीर नारियों/विधवाओं के बच्चों का सैनिक/मिलिट्री स्कूल/राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में दाखिले के उपरांत ₹ 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) मात्र की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन पत्र।

भाग - "क"

(आवेदक/आवेदिका का विवरण)

हाल का पासपोर्ट
फोटो चिपकाए

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ).....
भूतपूर्व सैनिक/पति का न० रैंक नाम
अलंकरण
 2. रेजिमेंट/कोर
 3. स्थाई पता (डिस्चार्ज बुक के आधार पर छायाप्रति संलग्न करें) :
ग्राम पोस्ट जिला
 4. बच्चे का विवरण (डिस्चार्ज बुक के आधार पर) :-
नाम जन्म तिथि
 5. सेना मे भर्ती की तिथि
 6. सेना से निवृति की तिथि तथा कारण
 7. बैंक का नाम एवं पता
 8. बैंक का खाता संख्या
 9. बैंक का IFSC/NEFT कोड
- } (बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति संलग्न करें जिसमें खाता संख्या तथा IFSC/NFET कोड दर्ज हो)

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने इस मद में पूर्व में किसी भी स्त्रोत से उपरोक्त अनुदान प्राप्त नहीं किया है एवं उपर्युक्त विवरणी सही है।

दिनांक :

भूतपूर्व सैनिक/आवेदिका का हस्ताक्षर एवं नाम

नाम :

नोट : आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

1. डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति
2. पेंशन अदायगी आदेश (PPO) की छायाप्रति
3. आधार कार्ड की छायाप्रति
4. जिंसै०क०का० द्वारा जारी पहचान पत्र
5. बैंक पास बुक के पहले पन्ने की छायाप्रति
6. शिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश उपरांत निर्गत प्रमाण पत्र

खण्ड - "ख"

(शिक्षण संस्थान द्वारा भरा जायेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि :— पिता के पुत्र/पुत्री हैं।

10. इनका नामांकन संख्या तिथि सत्र के लिए है।

11. जन्म तिथि

तिथि :

सैनिक स्कूल/मिलिट्री स्कूल/राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

खण्ड - "ग"

(कल्याण व्यवस्थापक का जाँच प्रतिवेदन)

12. आवेदक का विवरण जाँचा गया तथा सही पाया गया/सही नहीं पाया गया है एवं अनुदान भुगतान करने की अनुशंसा/अअनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

कल्याण व्यवस्थापक का नाम एवं हस्ताक्षर
जिला सैनिक कल्याण कार्यालय

(जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी की अनुशंसा)

13. कल्याण व्यवस्थापक श्री के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक को शिक्षा अनुदान भुगतान करने की अनुशंसा/अअनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी,

खण्ड - "घ"

सैनिक कल्याण निदेशालय

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, संलग्न दस्तावेजों, अन्य साक्ष्य अभिलेखों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर ₹(रूपये मात्र) आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा/अअनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

सहायक निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची

15. आवेदक के आवेदन, संलग्न दस्तावेजों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी और सहायक निदेशक के अनुशंसा उपरांत आवेदक को ₹(रूपये मात्र) आर्थिक सहायता भुगतान को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक :

निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची